

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021

प्रपत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी
 व भू.अ.नि. की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तहसील व जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2077-2077 में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	शूणदा	227	मीमा पुत्र लालु कुमावल	मीमराज पुत्र लालु कुमावल

पीठासीन अधिकारी
 सहायक कलक्टर
 लोक अदालत
 (उपखण्ड अधिकारी)
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
 रेलमगरा

दिनांक :- 25/9/25

क्रमांक:-/राजसम/2025/24
 प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
 सहायक कलक्टर
 लोक अदालत
 (उपखण्ड अधिकारी)
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
 रेलमगरा